रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 1975/कार्तिक 1, 1897

No. 208] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1975/KARTIKA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd October 1975

SUBJECT.—*Application form for export of Moneys.*

No. 45-ETC(PN)/75.—It is notified for the information of the trade that existing application form 'D-X' for export of monkeys shall, with immediate effect, be substituted by the application form D-X annexed to this Public Notice.

ANNEXURE

FORM D-X

Application for licence to export monkeys

1. Name and address of the applicant.

2. (a) Full particulars of the applicant (here indicate whether the applicant is a Public Co., a Private Co., partnership or individual firm and the year of establishment. Except in the case of Public Limited Co., name of the proprietor/partners/directors should be indicated).

(b) Whether the applicant is a member of any recognised Chamber of Commerce or Trade Association.

(c) Whether the applicant is an approved exporter of monkeys and also registered as an exporter of wild life by the Joint Chief Controller of Imports and Exports (CLA) New Delhi.

3. Name and address of the consignee.

4. Description, number and value of Monkeys desired to be exported, with approximate date of shipment.

5. Ultimate destination to which export is desired and the currency in which payment to be obtained.

6. (a) Specific purpose for which monkeys are required by the consignee (if required for medical research, the particulars field or research for which they are required should be stated).

(b) Full particulars of the 'Certificate of Need' procured from the recognised foreign consignee.

7. Name of the Carrier.

Declaration to be furnished by the Carrier.

(a) I/We declare that I/We shall fulfil the conditions incorporated in

Indian Standard

CODE FOR THE TRANSPORT OF MONKEYS BY AIR (IS: 3059—1965)

(b) I/We also undertake to forward to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, report (containing the following particulars, name of the exporter and consignee, date of airlifting, port of landing, number of monkeys airlifted, number of monkeys died in transit, and the number of flight in which they were carried) in respect of each consignment or monkeys carried by us, within 7 days of airlifting of the monkeys.

(Signature of the Carriers)

Seal of the Carriers.

Name in Block letters....................................

Designation ....

Address ....

8. Undertaking by the Exporter.

(a) I/We declare that I/We shall fulfil the condition incorporated in

Indian Standard

CODE FOR CARE, MANAGEMENT AND HOUSING OF LABORATORY ANIMALS

PART I—LABORATORY MONKEYS [IS : 6384 (Part I)]—1971

Indian Standard

CODE FOR TRANSPORT OF MONKEYS BY LAND PART II TRANSPORT FROM RAIL-HEAD TO THE NEAREST AIRPORT [IS : 3699 (Part II)]—1971

Indian Standard

CODE FOR THE TRANSPORT OF MONKEYS BY AIR (IS : 3059—1965)

(b) I/We agree to send a telegram giving details of the consignment, viz., licence No. and date, name of the consignees and carrier, date of airlifting, port of landing, number of monkeys airlifted to the Offices of the Chief Controller of Imports and Exports and Joint Chief Controller of Imports and Exports (CLA) New Delhi.

(Signature of the Exporter)

Name in Block letters....................................

Residential address ....

N.B.—1. If the application is incomplete or defective in any respect, it is liable to be rejected summarily.

2. An applicant supplying false or incorrect information will be debarred from exporting monkeys.

3. An applicant should put in separate application in respect of each certificate of need which should invariably be attached to the application.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1975

विषय.—बन्दरों के निर्यात के लिए आवेदन प्रपत्र ।

सं० 45-ई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—व्यापारियों की सूचना के लिए इसे अधिसूचित किया जाता है कि बन्दरों के निर्यात के लिए वर्तमान आवेदन प्रपत्र 'डी-एक्स' को तत्काल से ही इस सार्वजनिक सूचना में अनुबद्ध आवेदन-प्रपत्र डी-एक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

अनुबंध

प्रपत्र डी-एक्स

बन्दरों का निर्यात करने के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम और पता

2. (क) आवेदक का पूरा विवरण (यहां पर यह संकेत करें कि क्या आवेदक सार्वजनिक कम्पनी, निजी कम्पनी, साझीदार या व्यक्तिगत फर्म है और इनके स्थापित किए जाने का वर्ष भी बताएं । केवल सार्वजनिक लि० कम्पनी को छोड़कर अन्य मामलों में स्वामी/भागीदारों/संचालकों का नाम भी दिया जाना चाहिये ।

(ख) क्या आवेदक किसी मान्यता-प्राप्त व्यापार मंडल अथवा व्यापार संघ का सदस्य है ।

(ग) क्या आवेदक बन्दरों के निर्यात का अनुमोदित निर्यातक है और क्या संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी एल ए) नई दिल्ली द्वारा जंगली जन्तुओं के निर्यातक के रूप में पंजीकृत है ।

3. परेषिती का नाम और पता

4. पोतलदान की अनुमानित तिथि के साथ निर्यात किए जाने वाले अपेक्षित बन्दरों का ब्यौरा, संख्या और मूल्य ।

5. वह अन्तिम स्थान जहां निर्यात करना अपेक्षित है और वह मुद्रा जिसमें भुगतान प्राप्त किया जाना है ।

6. (क) विशेष उद्देश्य जिसके लिए परेषिती द्वारा बन्दरों के लिए चाह की गई है । (यदि उसकी चाह चिकित्सा के लिए है तो उस विशेष क्षेत्र या अनुसंधान का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए वे अपेक्षित हैं)।

(ख) मान्यता प्राप्त विदेशी कम्पनी से प्राप्त किए गए आवश्यकता प्रमाण पत्र का पूरा-पूरा ब्यौरा ।

7. वाहक का नाम

वाहक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा-पत्र

(क) मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम भारतीय मानक में शामिल की गई शर्तों को पूरा करेंगे ।

वायु मार्ग द्वारा बन्दर भेजने के लिए कोड (भारतीय मानक 3059–1965)

(ख) मैं/हम इस बात के लिए भी वचन देते है कि वायु मार्ग से बन्दर भेजने के सात दिनों के भीतर प्रत्येक परेषण अथवा हमारे द्वारा बन्दर लाने के संबंध में रिपोर्ट, (इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे । निर्यातक और परेषिती का नाम, वायुमार्ग से भेजने की तिथि, अवतरण का पत्तन, वायु-मार्ग द्वारा भेजे गए बन्दरों की संख्या, आवागमन में मरे हुए बन्दरों की संख्या और वायुयान की संख्या, जिसमें वे लाए गए थे) मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली को भेजेंगे ।

(वाहक के हस्ताक्षर)

नाम साफ-साफ अक्षरों में.............................

वाहक की मोहर

ओहदा.........................

पता...

8. निर्यातक द्वारा वचन पत्र देना ।

(क) मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम भारतीय मानक में शामिल की गई शर्तों को पूरा करेंगे ।

ध्यान देने के लिए कोड, जन्तु प्रयोगशाला की व्यवस्था और आवास ।

भाग–1 प्रयोगशाला बन्दर [भारतीय मानक–6384 (भाग–1) 1971] भारतीय मानक स्थल मार्ग द्वारा बन्दरों को भेजने के लिए कोड भाग–2

नजदीक हवाई पत्तन को रेल द्वारा भेजने के लिए [भारतीयमानक 3699 (भाग-2)-1971]

भारतीय मानक

वायुमार्ग (भारतीय मानक 3059–1965) द्वारा बन्दर भेजने के लिए कोड

(ख) मैं/हम परेषण को ब्यौरों को देते हुए अर्थात् लाइसेंस संख्या और दिनांक, परेषिती और

वाहक का नाम, वायु मार्ग से भेजने की तिथि, अवतरण का पत्तन, वायु मार्ग द्वारा भेजे गए बन्दरों की संख्या को तार द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और संयुक्त मुख्य नियंत्रक (सी एल ए), नई दिल्ली के कार्यालयों को भेजने के लिए सहमत होते है ।

(निर्यातक के हस्ताक्षर)

साफ-साफ अक्षरों में नाम..............

घर का पता..... ....

...   ...

विशेष ध्यान दीजिए–(1) यदि किसी भी तरह आवेदन पत्र अपूर्ण या दोषपूर्ण होगा तो वह सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

2. यदि आवेदक झूठी या गलत सूचना देता है तो उसे बन्दरों का निर्यात करने से वंचित कर दिया जाएगा ·

3. प्रत्येक आवश्यकता प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदकों को चाहिए कि वह अलग-अलग आवेदन पत्र रखें और आवश्यकता प्रमाण पत्र को बिना किसी चूक के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975